रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1041] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 14, 2006/भाद्र 23, 1928
No. 1041] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 14, 2006/BHADRA 23, 1928

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2006

का.आ. 1506(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 697(अ), तारीख 12 मई, 2006, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खण्ड (ii), तारीख 12 मई, 2006 (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा राजस्थान राज्य के दौसा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 के 120.000 कि.मी. से 228.000 कि.मी. (महुआ-जयपुर सेक्शन) तक के भूखण्ड के निर्माण (चार लेन का बनाने/चौड़ा करने आदि), अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन करने के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 25 मई, 2006 को "दैनिक भास्कर" और तारीख 25 मई, 2006 को "राजस्थान पत्रिका" में प्रकाशित किया गया था;

और, सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 के 120.000 कि.मी. से 228.000 कि.मी. तक (महुआ-जयपुर सेक्शन) के भूखण्ड के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण :

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	भूस्वामियों/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	दौसा	बसवा	खुंतला	1124	सरकारी	चारागाह	1200	सरकारी
				1125	सरकारी	चारागाह	200	सरकारी

[फा. सं. एनएचएआई/बीओटी II/11013/12/05/भू अ-223]

प्रभाकर, उप सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Road Transport and Highways)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th September, 2006

S.O. 1506(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways), number S.O. 697 (E), dated the 12th May, 2006, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) and issued under Sub-section (1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/ four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 11 on the stretch of land from Km 120.000 to Km 228.000 (Mahua- Jaipur Section) in District Dausa, in the State of Rajasthan;

And, whereas the substance of the said notification has been published in "Dainik Bhasker", dated the 25th May, 2006 and in "Rajasthan Patrika", dated the 25th May, 2006, under Sub-section (3) of Section 3 A of the said Act;

And, whereas no objections have been received from any person by the competent authority;

And, whereas, in pursuance of Sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of Sub-section (2) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structures, falling within the stretch of land from Km 120.000 to Km 228.000 (Mahua-Jaipur Section) on National Highways No. 11 in the State of Rajasthan :

Serial number	Name of the District	Name of the Taluk	Name of the Village	Survey number	Type of land	Nature of land	Area (in square metres)	Name of Land owner/ Interested persons
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dausa	Baswa	Khuntla	1124	Government	Pasture	1200	Government
				1125	Government	Pasture	200	Government

[F. No. NHAI/BOT II/11013/12/05/LA-223]

PRABHAKAR, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.